[2019] 7 एस. सी. आर 947

वाई. सावरिमुत्तु

वी.

तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

(सिविल अपील सं। 4495-4496 2019 का)

अप्रैल 30,2019

[आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - एस. 80-सूचना-- अपीलार्थी सरकारी ठेकेदार और प्रत्यर्थी-राज्य ने एक

एन. एच. 7 के दो लाइन वाले फुटपाथ को मजबूत करने के लिए समझौता-पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ-अधीक्षण अभियंता आंशिक रूप से

अनुबंध को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि अपीलार्थी ने परियोजना में प्रगति नहीं दिखाई थी-अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था-रिट अपील को भी खारिज कर दिया गया था-अपीलार्थी ने रिट अपील के निपटारे से पहले उत्तरदाताओं को दिनांक 1 का कानूनी नोटिस और अलग-अलग तिथियों पर दो पत्र जारी किए थे। 80 सी. पी. सी.-हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि एस के प्रावधान। 80 सी. पी. सी. का अनुपालन नहीं किया गया-अपील में, राज्य ने तर्क दिया कि यू/एस. द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। 80 सी. पी. सी. इस कारण से कि अपीलार्थी के तीन नोटिसों/पत्रों में से किसी में भी यह नहीं कहा गया था कि वे यू/एस थे। 80 सी. पी. सी-आयोजितः अधिकारियों को विधिवत सूचना दी गई थी-उक्त सूचना में कार्रवाई का कारण पर्याप्त रूप से निर्धारित किया गया था, जो अनुबंध की आंशिक समाप्ति की अवैधता थी-एक सूचना में उस धारा का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिसके तहत यह किया गया है जब तक कि धाराओं की उप-धारा (3) के तत्व हैं। 80 पूरा किया जाता है-यह स्वीकार किया जाता है कि रिट अपील दायर करने से पहले किसी भी कानूनी नोटिस की आवश्यकता नहीं थी इसलिए, जो नोटिस 14.01.2000 पर भेजा गया था, वह केवल यू/एस था। 80 रिट अपील विफल होने और मुकदमा दायर करने की स्थिति में सी. पी. सी.-निचली अदालत का फैसला सही था

इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया और गुण-दोष के आधार पर अपीलों का निपटारा करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. दिनांकित 14.01.2000 नोटिस के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि यह अपीलार्थी के एक वकील द्वारा भेजा गया एक कानूनी नोटिस है संबंधित अधिकारी। यह विवादित नहीं है कि यह था

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" राज्य के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दो महीने से अधिक समय बीत चुका है। इस नोटिस की तारीख, जिसके बाद मुकदमा दायर किया गया है। वास्तव में, मुकदमा बहुत बाद 12.09.2002 पर दायर किया गया था। इसके अलावा, 29.01.2000 पर भी, अपीलार्थी के पत्र ने संभागीय अभियंता को स्पष्ट कर दिया कि न केवल आंशिक समाप्ति कानूनी रूप से खराब है, बल्कि काम के लिए देय भुगतान भी करना होगा। [पैरा 15] [960-ई-जी]

2. अतः यह स्पष्ट है कि पर्याप्त अनुपालन है।

धारा 80 सी. पी. सी. के प्रावधानों के साथ, जैसा कि संविधि पुस्तक में धारा 80 (3) को पेश करने वाले संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया है। प्रत्यर्थियों का यह तर्क कि धारा 80 का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और कानूनी सूचना और पत्र रिट अपील के निपटारे से पहले लिखे गए थे, पर कोई आधार नहीं है। यह इस कारण से है कि किसी सूचना में उस धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिसके तहत इसे बनाया गया है, जब तक कि धारा 80 की उप-धारा (3) के तत्व पूरे होते हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि रिट अपील दायर करने से पहले किसी कानूनी नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, जो नोटिस 14.01.2000 पर भेजा गया था, वह केवल धारा 80 सी. पी. सी. के तहत था, यदि रिट अपील विफल हो जाती है और एक मुकदमा दायर करना पड़ता है। [पैरा 16] [960-एच; 961-ए-सी]

ध्यान सिंह शोभा सिंह और एक अन्य बनाम। भारत संघ

[1958] एससीआर 781; विट्ठलभाई (पी) लिमिटेड बनाम। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

भारत (2005) 4 एस. सी. सी. 325: [2005] 2 एससीआर 680;

घनश्याम दास और अन्य बनाम। भारत का अधिराज्य और

अन्य (1984) 3 एस. सी. सी. 46: [1984] 3 एस. सी. आर. 229; राज्य

ए. पी. और अन्य बनाम पायनियर बिल्डर्स, ए. पी. (2006) 12 एससीसी

119 : [2006] 6 पूरक। एससीआर 571-पर निर्भर।

मामला कानून संदर्भ

[1958] एससीआर 781

उस पर भरोसा करें

पै

रा 11

[2005] 2 एससीआर 680

उस पर भरोसा करें

पैरा 12 वाई. सावरिमुत्तु बनाम। तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य।

[1984] 3 एससीआर 229

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2006] 6 पूरक। एससीआर 571

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 4495

4496 2019 से।

मदुरै के 17.06.2015 दिनांकित निर्णय और आदेश से

ए. एस. में मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ 2007 का (एम. डी.) सं. 141 और 2009 का क्रॉस अपील (एम. डी.) सं. 56।

डॉ. ए. राजीव बी. मसोदकर, सुश्री अनुराधा मुतातकर, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

किशोर लाम्बाट, मेसर्स। लैम्बट एंड एसोसिएट्स, एड. के लिए

उत्तरदाता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपीलें इस बात से संबंधित हैं कि क्या धारा के तहत कोई नोटिस है

80 सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) की धारा तमिलनाडु राज्य को धारा के संदर्भ में या उसके पर्याप्त अनुपालन में दी गई है।

3. अपीलार्थी एक सरकारी ठेकेदार है जिसने निष्पादन किया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग, पीडब्ल्यूडी और विद्युत बोर्ड में विभिन्न कार्य। आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी और प्रतिवादी संख्या 2 ने मदुरै से कन्याकुमारी तक एक विशेष किलोमीटर बिंदु से एन. एच. 7 के मौजूदा दो लेन वाले फुटपाथ को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया। समझौते के अनुसार, काम 18 महीने में पूरा होना चाहिए था।

साइट को 20.10.1997 पर अपीलार्थी को सौंप दिया गया था, लेकिन काम की प्रगति के दौरान, अपीलार्थी ने कहा कि उत्तरदाताओं के कारण हुई देरी के कारण, वह प्रगति करने और समय पर काम पूरा करने में सक्षम नहीं था। अपीलार्थी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का तत्काल कारण अधीक्षण अभियंता द्वारा पारित दिनांक 1 का एक आदेश था जिसमें इस आधार पर अनुबंध को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था कि वादी-अपीलार्थी ने उक्त कार्य के निष्पादन में पर्याप्त प्रगति नहीं दिखाई है। वादी-अपीलार्थी ने सबसे पहले मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसने दिनांक 1 के एक फैसले द्वारा रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दीवानी मुकदमा दायर करने के मामले में एक पर्याप्त वैकल्पिक उपाय मौजूद है। यह अपील की गई थी

अपीलार्थी द्वारा इसके विरुद्ध, जिसने काफी हद तक उसी भाग्य [2019] 7 एस. सी. आर. का सामना किया।

दिनांक 1 के आदेश द्वारा, जिसके द्वारा रिट अपील खारिज कर दी गई थी, और यह कहा गया था कि मध्यस्थता के माध्यम से एक पर्याप्त वैकल्पिक उपाय मौजूद था। 4. विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और रिट अपील को खारिज करने वाले डिवीजन बेंच के फैसले के बीच, अपीलार्थी ने एक कानूनी आदेश भेजा।

दिनांक 14.01.2000 का नोटिस जिसमें अपीलार्थी ने यह स्पष्ट किया कि उसने रुपये की सीमा तक काम पूरा कर लिया है। 1,25,00,000 / - संयंत्र के पूर्व-स्तरीय कार्य और योग्यता को मंजूरी देने में देरी के बावजूद। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विभाग की ओर से देरी होने के कारण 18 महीने की मूल अवधि को 30.03.2000 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बावजूद, उक्त विस्तार समाप्त होने से पहले ही 16.12.1999 का आदेश दिया गया था, जिसके द्वारा अनुबंध को आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। यही कारण था कि उन्होंने कहा कि उनका जाना आवश्यक था एक लिखित याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में। यह भी कहा गया है कि

रिट याचिका 24.12.1999 पर खारिज कर दी गई थी और अपीलार्थी ने

उक्त आदेश के खिलाफ रिट अपील दायर करने का निर्णय लिया। हालाँकि, इसके बावजूद, अपीलार्थी ने यह स्पष्ट कर दिया कि विस्तारित समय की समाप्ति से पहले भी आंशिक समाप्ति मनमाना है और उतनी ही मनमाना नई निविदा है जिसे अपीलार्थी को कोई नोटिस जारी किए बिना बुलाया गया था। जिसके लिए वह कानून में उपलब्ध "उचित कानूनी कार्रवाई" करेगा, राज्य को सभी लागतों और परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराएगा। इस कानूनी नोटिस के बाद दो अन्य पत्र आए, एक दिनांकित 25.01.2000 और दूसरा दिनांकित 29.01.2000। 29.01.2000 दिनांकित पत्र में कहा गया है कि वह अनुबंध की आंशिक समाप्ति को चुनौती दे रहे हैं और काम के लिए देय भुगतान की एक सूची संलग्न कर रहे हैं, जो उस समय रु। 88.06 लाख।

5. चूँकि रिट अपील भी खारिज कर दी गई थी और चूंकि मध्यस्थता के उपाय का लाभ 2 करोड़ रुपये से अधिक के दावों के रूप में नहीं उठाया जा सका था। अपीलार्थी ने विरुधुनगर में विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में 12.09.2002 पर O. S. No. 2/2002 दायर किया कि लाखों रुपये मध्यस्थता योग्य नहीं थे, लेकिन एक दीवानी मुकदमे में निर्णय लिया जाना चाहिए। इस तथ्य को स्थापित करने के बाद कि आंशिक

समाप्ति कानून में खराब थी, अपीलार्थी ने एक घोषणा के लिए अनुरोध किया कि 16.12.1999 दिनांकित आंशिक समाप्ति आदेश अवैध और अमान्य है और यह कि रु। 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 3 करोड़ 30 लाख

यह राशि उन्हें राज्य द्वारा देय राशि के रूप में दी गई थी।

6. विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने अपने दिनांक 29.06.2007 के फैसले में पाया कि धारा 80 Y. SAVARIMUTHU v का पर्याप्त अनुपालन था।

तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

सी. पी. सी. ने इस तथ्य को देखते हुए कि दिनांकित 14.01.2000 का नोटिस स्पष्ट रूप से विचाराधीन तीन अधिकारियों को भेजा गया था और उन्हें दिया गया था। इसके अलावा, कार्रवाई और दावा की गई राहत का कारण भी नोटिस के साथ-साथ पहले से ही ऊपर निर्दिष्ट 29.01.2000 के पत्र में काफी हद तक निर्धारित किया गया था। 7. मामला कानून का हवाला देने के बाद, विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पाया कि धारा 80 के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था

सीपीसी। गुण-दोष के आधार पर, अंततः, अपीलार्थी को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ <ID1,1,200/- की राशि प्रदान की गई। 8. विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले से असंतुष्ट होने के कारण, अपीलार्थी के साथ-साथ राज्य दोनों ने अपील दायर की। इन अपीलों का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था जिसमें उच्च न्यायालय ने

यह पाया गया कि धारा 80 सी. पी. सी. का प्रावधान अनिवार्य था और उक्त प्रावधान द्वारा उल्लिखित "पूर्ण विवरण" धारा 80 के तहत भेजे गए तथाकथित नोटिसों में नहीं दिए गए थे, और इसलिए, प्रारंभिक आधार पर ही राज्य की अपील को अनुमति दी और कहा कि दायर किया गया मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं होगा क्योंकि यह अनुपालन के बिना दायर किया गया था

सी. पी. सी. की धारा 80 के प्रावधानों के साथ।

9. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने अपीलार्थी द्वारा भेजे गए पत्रों के साथ कानूनी नोटिस के आधार पर प्रस्तुत किया है कि धारा 80 सी. पी. सी. का पर्याप्त अनुपालन किया गया है।

वर्तमान मामले में किया गया जैसा कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा सही पाया गया था। उच्च न्यायालय ने धारा 80 के पर्याप्त अनुपालन को स्वीकार नहीं करने में गलती की, लेकिन इस तरह काम किया जैसे कि धारा 80 एक कठोर प्रावधान है, जिसे मेडिस और फारसियों के कानूनों की तरह बिल्कुल भी नहीं मोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह दिखाने के लिए कुछ निर्णयों का हवाला दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता में 1976 के संशोधन द्वारा, धारा 80 (3) को जोड़ा गया था, जो यह स्पष्ट करता है कि जब तक राज्य को नोटिस पर रखा गया था और उचित रूप से सेवा दी गई थी, और जब तक कार्रवाई का कारण और सूट में प्रार्थना काफी हद तक थी। सूचित किए जाने पर, इसे प्रावधान का पर्याप्त अनुपालन माना जाना चाहिए।

10. दूसरी ओर, राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने हमारे सामने तर्क दिया है कि यह स्पष्ट है कि कोई नोटिस नहीं था

धारा 80 सी. पी. सी. के तहत इस कारण से जारी किया गया कि अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए तीन नोटिसों/पत्रों में से किसी में भी यह नहीं कहा गया था कि वे इसके तहत थे। धारा 80 सी. पी. सी. उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि ये नोटिस रिट अपील के निपटारे से पहले जारी किए गए थे जो अभी भी लंबित था, एक [2019] 7 एस. सी. आर. के रूप में।

जिनमे से एक नोटिस देने का उद्देश्य, जो दावा करने के लिए सरकार के लिए है, नहीं हो सकता था क्योंकि यह सर्वविदित है कि अतिग्रहण कभी भी उन दावों का निपटारा नहीं कर सकता जो न्यायालय के अधीन हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि रिट अपील खारिज होने के बाद कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया था, जो अकेले नोटिस के रूप में योग्य हो सकता था, यदि बिल्कुल भी हो, तो वर्तमान मुकदमा दायर करना। उन्होंने अपनी दलीलों का भी समर्थन किया है।इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का संदर्भ।

धारा 80 सी. पी. सी. निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है:

" 80.नोटिस करें।

(1) उप-धारा (2) में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, सरकार (सरकार सहित) के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर राज्य का) या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध ऐसे अधिकारी द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में

आधिकारिक क्षमता, लिखित सूचना दिए जाने या कार्यालय में छोड़े जाने के बाद अगले दो महीने की समाप्ति तक

(क) केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे के मामले में, सिवाय इसके कि यह रेलवे से संबंधित है, उस सरकार का एक सचिव;

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमे की स्थिति में उस सरकार के मुख्य सचिव या इस संबंध में उस सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी; (ग) किसी अन्य राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमे के मामले में, उस सरकार का सचिव या जिले का कलेक्टर;

और, किसी लोक अधिकारी के मामले में, उसे इस कार्यालय में दिया गया या छोड़ दिया गया, जिसमें कार्रवाई का कारण, वादी का नाम, विवरण और निवास स्थान और राहत का दावा किया गया है, और वाद में एक बयान होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार दी गई है।

दिया या छोड़ दिया "। (2) सरकार (जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार सहित) या किसी भी लोक अधिकारी के खिलाफ तत्काल या तत्काल राहत प्राप्त करने के लिए मुकदमा, ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में,

न्यायालय की अनुमति से, उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किसी भी सूचना की तामील किए बिना स्थापित किया गया; लेकिन न्यायालय वाई. सावरिमुत्तु v.

तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

वाद में, चाहे अंतरिम हो या अन्यथा, सरकार या लोक अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, राहत के संबंध में कारण दिखाने का एक उपयुक्त अवसर देने के बाद के अलावा।

सूटः बशर्ते कि न्यायालय, यदि पक्षकारों को इस बात से संतुष्ट करता है कि वाद में कोई तत्काल या तत्काल राहत देने की आवश्यकता नहीं है, तो निम्नलिखित का पालन करने के बाद वाद को प्रस्तुत करने के लिए उसे वापस कर देगाः

उप-धारा (1) की आवश्यकताएँ।

(3) सरकार या जनता के खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया

ऐसे लोक अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में अधिकारी को केवल उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सूचना में किसी त्रुटि या दोष के कारण बर्खास्त किया जाएगा।

अगर इस तरह के नोटिस में

(क) वादी का नाम, विवरण और निवास इस प्रकार दिया गया था कि उपयुक्त प्राधिकारी या लोक अधिकारी नोटिस देने वाले व्यक्ति की पहचान कर सके और ऐसी सूचना उपयुक्त प्राधिकारी के कार्यालय में दी गई थी या छोड़ दी गई थी।

उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट, और

(ख) कार्रवाई का कारण और वादी द्वारा दावा की गई राहत

काफी हद तक संकेत दिया गया है "।

11. ऐसे समय में भी जब धारा 80 (3) उपलब्ध नहीं थी, यह ध्यान सिंह शोभा सिंह और एक अन्य बनाम में है। भारत संघ,3) एस. सी. आर. 781 ने यह स्पष्ट किया कि धारा 80, जिसके साथ सख्ती से झूठ बोला जाना चाहिए, का पूरी तरह से पांडित्यपूर्ण तरीके से अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।

सामान्य ज्ञान से सी.

" हम यह देखने के लिए विवश हैं कि उच्च का दृष्टिकोण

इस प्रश्न का न्यायालय अच्छी तरह से स्थापित नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रिवी काउंसिल भागचंद दगादुसा बनाम में निर्धारित की गई है। राज्य सचिव

[(1927) L.R.54 आई. ए. 338] कि इस धारा की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि इसका मतलब यह नहीं है कि नोटिस की शर्तों की जांच पांडित्यपूर्ण तरीके से या सामान्य ज्ञान से पूरी तरह से अलग तरीके से की जानी चाहिए। जैसा कि पोलक सी. बी. ने जोन्स बनाम में कहा था। निकोल्स [(1844) 13 एम. एंड डब्ल्यू. 361 , 363 ; 153 ई. आर. 149,150] "हमें इस तरह की सूचनाओं में थोड़ी सी सामान्य ज्ञान का समावेश करना चाहिए।" ब्यूमोंट सी. जे. को चंदूलाल वादिलाल बनाम में भी देखा गया है। बॉम्बे सरकार [आई. एल. आर. [1943] बॉम। 128] : " धारा 80 का अर्थ सामान्य [2019] 7 एस. सी. आर. के संबंध में किया जाना चाहिए।

इन्द्रिय और उस उद्देश्य के लिए जिसके साथ यह पारित किया गया प्रतीत होता है। यदि विचाराधीन सूचना की शर्तों की इस तरह से जांच की जाए तो यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दावा की गई राहत उक्त दो ट्रकों की पुनः डिलीवरी थी या 3,500 रुपये के वैकल्पिक भुगतान में उसका मूल्य था। इसका मूल्य जिसे अपीलार्थियों द्वारा ट्रकों पर रखा गया था

उनके अनुसार मूल्य-1 अगस्त, 1942 को एक मूल्य, जिस तारीख को प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थियों को ट्रकों की डिलीवरी दी जानी चाहिए थी। अपीलार्थी केवल उस सूचना की तारीख तक उस राशि की मांग कर सकते थे। वे समझदारी से किसी अन्य राशि की मांग नहीं कर सकते थे। यदि प्रत्यर्थी ने उस सूचना की शर्तों का पालन किया था और ट्रक को अपीलार्थी को फिर से वितरित किया था, तो आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि दूसरी ओर ट्रकों को पुनः वितरित करने के बजाय उसने अपीलार्थी को उसके मूल्य का भुगतान किया है, तो भी उसे उस विकल्प पर अपीलार्थी को 3,500 रुपये से अधिक का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, यदि प्रत्यर्थी उस सूचना में निहित अपेक्षाओं का पालन करने में विफल रहता है और उपेक्षा करता है तो अपीलार्थी निश्चित रूप से प्रत्यर्थी से उक्त ट्रकों के मूल्य की वसूली करने के हकदार होंगे।

प्रत्यर्थी अंततः न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में पारित डिक्री की शर्तों के अनुसार अपीलार्थियों को इसे फिर से देने के लिए। अपीलार्थियों द्वारा निश्चित रूप से उस तारीख का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका और यह उम्मीद करना सभी कारणों और सामान्य ज्ञान के विपरीत है कि अपीलार्थियों ने उस तारीख तक उक्त दो ट्रकों के वैकल्पिक मूल्य के लिए दावा किया होगा। उत्तरदाता था

और स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए था क्योंकि यह उस नोटिस की शर्तों का पालन न करने के परिणामस्वरूप विकसित होगा और यदि 8 जनवरी, 1943 को, उस मुकदमे में अपीलकर्ताओं ने दावा किया जो उन्होंने उक्त ट्रकों को गलत तरीके से हिरासत में रखने के लिए दायर किया था। उक्त ट्रकों की डिलीवरी या वैकल्पिक रूप से उनके मूल्य के रूप में 3,500 रुपये और अतिरिक्त न्यायालय शुल्क का भुगतान करके डिक्री की तारीख तक ट्रकों की कीमतों में वृद्धि के कारण उनके मूल्य में और वृद्धि का दावा करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा, उनके दरवाजे पर यह नहीं रखा जा सका कि उन्होंने एस के तहत प्रतिवादी को अपने नोटिस में विशिष्ट मांग नहीं की थी। 80 सिविल प्रक्रिया संहिता और इसलिए उनकी वसूली का दावा

उस धारा के तहत 3,500 रुपये से अधिक कुछ भी प्रतिबंधित था। ए. एस के तहत नोटिस का सामान्य ज्ञान पढ़ना।

80 किसी भी वाई. सावरिमुत्तु बनाम का नेतृत्व करेंगे। तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचाया कि उस धारा की सख्त अपेक्षाओं का पालन किया गया था और इसमें कोई दोष नहीं था जैसे कि अपीलार्थियों को इस धारा से वसूली से अयोग्य ठहराना।

प्रत्यर्थी निर्णय की तारीख को उक्त दो ट्रकों का सराहनीय मूल्य। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि न तो यह बात प्रत्यर्थी द्वारा लिखित बयान में ली गई थी जिसे उसने अपीलार्थियों के दावे के जवाब में दायर किया था और न ही निचली अदालत द्वारा उस ओर से कोई मुद्दा तैयार किया गया था और यह इस निष्कर्ष को उचित ठहरा सकता है कि एस के तहत आपत्ति। 80 इस्तीफा दे दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुद्दे को पहली बार उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया है जिसने अपीलार्थियों के दावे को खारिज कर दिया। उक्त ट्रक "।

12. विट्ठलभाई (पी) लिमिटेड बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, (2005) 4,315, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 10 में कुछ निर्णयों का हवाला दिया, जो यह स्पष्ट करते हैं कि उक्त धारा का उद्देश्य ई की उन्नति और अनावश्यक आय से बचने के द्वारा सार्वजनिक भलाई को सुरक्षित करना है।

" 10. सी. पी. सी. की धारा 80 के तहत सरकार या एक लोक अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा तब तक नहीं चलाया जाएगा जब तक कि प्रावधान में निर्धारित तरीके से लिखित रूप में नोटिस की सेवा के बाद अगले दो महीने की समाप्ति नहीं हो जाती है और यदि उक्त अवधि की समाप्ति से पहले दायर किया जाता है, तो मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से एक सार्वजनिक उद्देश्य अंतर्निहित है।

प्रावधान "। इस धारा का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना और इससे बचकर सार्वजनिक भलाई सुनिश्चित करना है।

अनावश्यक मुकदमेबाजी "(बिहारी चौधरी बनाम देखें। बिहार राज्य

(1984) 2 एससीसी 627)। बुच्चिराजू (वड्डादी) v. डोड्डी

(1917) 40 मैड 308) और कुछ अन्य मामले। यहाँ, पूरी निष्पक्षता से, यह उल्लेख किया जा सकता है कि रंगय्या नायडू (मैलावरपु) v. बसाना साइमन (ए. आई. आर. 1926 मैड 594), जे. स्पेंसर, ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि कोई मुकदमा संस्थित किए जाने की तारीख पर समयपूर्व है, हालांकि निर्णय की तारीख पर नहीं है, तो एक डिक्री नहीं दी जा सकती है और ऐसे मामलों में एकमात्र तरीका यह है कि एक नया मुकदमा [2019] 7 एस. सी. आर. लाने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमे को खारिज कर दिया जाए।

कार्रवाई के उचित कारण पर। यह ध्यान देने योग्य है कि बुच्चिराजू मामले का फैसला 5-10-1925 पर किया गया था जबकि रंगय्या

नायडू के मामले का फैसला 7-10-1925 पर किया गया था लेकिन पूर्व निर्णय यद्यपि पूर्व तिथि न्यायालय के ध्यान में नहीं लाई गई थी

बाद के मामले का निर्णय लेना। "

13. घनश्याम दास और अन्य बनाम। भारत अधिराज्य और आर. एस., (1984) 3 एस. सी. सी. 46, इस न्यायालय ने ए. डब्ल्यू. आयोग द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया और कहाः

" 17. संहिता की धारा 80 विनियमन और तंत्र प्रदान करने के लिए पारित प्रक्रिया संहिता का एक हिस्सा है, जिसके माध्यम से अदालतें पक्षों के बीच न्याय कर सकती हैं। इसलिए यह केवल विशेषण कानून का एक हिस्सा है और केवल प्रक्रिया से संबंधित है और इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए ताकि न्याय के उद्देश्य को पराजित करने के बजाय इसे कम किया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। संग्राम सिंह बनाम। निर्वाचन न्यायाधिकरण, कोटा (1955) 2 एस. सी. आर. 1 विवियन बोस, जे.

सिविल प्रक्रिया संहिता से संबंधित प्रबुद्ध भाषा

उन्होंने कहाः

यह एक प्रक्रिया है, जिसे न्याय को सुविधाजनक बनाने और इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया हैः दण्ड के लिए दंडात्मक अधिनियम नहीं और

दंड; लोगों को परेशान करने के लिए डिज़ाइन की गई चीज़ नहीं। बहुत तकनीकी

उन धाराओं का निर्माण जो व्याख्या की उचित लोच के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं, इसलिए (बशर्ते कि हमेशा दोनों पक्षों के लिए न्याय किया जाता है) के खिलाफ संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि न्याय को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए साधनों का उपयोग किया जा सके। इसे हतोत्साहित करें।

18. प्रक्रिया के हमारे कानून इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि "जहां तक संभव हो, अदालत में किसी भी कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

केवल तकनीकीताओं पर पराजित होना "। यहाँ, सभी आवश्यकताएँ

संहिता की धारा 80 को पूरा किया गया। सूट पहनने से पहले लाया गया, भारत के डोमिनियन को सेठ लचमन दास से दावे का नोटिस मिला। धारा 80 के तहत नोटिस देने का पूरा उद्देश्य सरकार को उस मामले के बारे में पर्याप्त चेतावनी देना है जो उसके खिलाफ दर्ज किया जा रहा है (एस. आई. सी. ताकि) कि सरकार, यदि वह चाहे, (एस. आई. सी.) बिना मुकदमे के दावे का निपटारा कर सके या अदालत का सहारा लिए बिना क्षतिपूर्ति का खर्च उठा सके। धारा 80 की उस आवश्यकता को तथ्यों में स्पष्ट रूप से पूरा किया गया था।

और वर्तमान मामले की परिस्थितियाँ।

वाई. सावरिमुत्तु बनाम। तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

19. यह आम अनुभव की बात है कि अधिकांश मामलों में सरकार या संबंधित लोक अधिकारी अनुभाग द्वारा दिए गए अवसर का कोई उपयोग नहीं करते हैं। अधिकांश मामलों में धारा 80 के तहत दी गई सूचना धारा द्वारा प्रदान किए गए दो महीने की समाप्ति तक अनुत्तरित रहती है। यह भी स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में मामलों में, जैसे कि यहां, सरकार या लोक अधिकारी ने केवल तकनीकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इस धारा का उपयोग किया

यह तर्क देते हुए कि या तो कोई सूचना नहीं दी गई थी या वास्तव में दी गई सूचना धारा की आवश्यकताओं का पालन नहीं करती थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रतिवादी एक साथ आगे आए

तकनीकी दलील कि सेठ लचमन दास के कानूनी उत्तराधिकारियों, वादियों के कहने पर मुकदमा इस आधार पर बनाए रखने योग्य नहीं था कि उनके द्वारा कोई नया नोटिस नहीं दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से एक तकनीकी याचिका थी जिसकी गणना न्यायसंगत दावे को विफल करने के लिए की गई थी। दुर्भाग्य से, इस तरह से उठाई गई तकनीकी याचिका उच्च न्यायालय में प्रबल हो गई जिसके परिणामस्वरूप वादी पिछले 35 वर्षों से अपने वैध बकाया से वंचित हैं।

20. विधि आयोग ने चौदहवीं रिपोर्ट, खंड 1 में

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 पी। 475 एक सिफारिश की कि संहिता की धारा 80 को हटा दिया जाना चाहिए। इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया थाः

साक्ष्य से पता चला कि अधिकांश मामलों में,

सरकार या लोक अधिकारी ने अनुभाग द्वारा दिए गए अवसर का कोई लाभ नहीं उठाया। अधिकांश मामलों में धारा 80 के तहत दी गई सूचना धारा द्वारा प्रदान की गई दो महीने की अवधि की समाप्ति तक अनुत्तरित रही। यह भी स्पष्ट था कि बड़ी संख्या में मामलों में सरकारें और जनता

कार्यालयों ने इस धारा का उपयोग केवल तकनीकी बचाव करने के लिए किया और तर्क दिया कि या तो कोई सूचना नहीं दी गई थी या वास्तव में दी गई सूचना धारा की आवश्यकताओं का पालन नहीं करती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये तकनीकी सुरक्षाएँ

कई मामलों में न्यायसंगत दावों को विफल करने में सफल रहा

नागरिकों को।

21. विधि आयोग ने संहिता पर सत्ताईसवीं रिपोर्ट में पृष्ठ। 21-22 धारा 80 को हटाने के लिए अपनी पिछली सिफारिश को दोहराया और पचास-चौथी रिपोर्ट में पी। 56 पहले की गई सिफारिश से पूरी तरह सहमत। के अनुरूप

विधि आयोग की अनुशंसा, धारा 80 में [2019] 7 एस. सी. आर. है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। संहिता की धारा 27 के अनुसार

सिविल प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1976 जिसे लागू किया गया था 1 फरवरी, 1977 से मौजूदा धारा 80 लागू हो गई है।

धारा 80 (1) और उप-धारा (2) और (3) के रूप में पुनः क्रमांकित है सम्मिलित किया गया। अंतःस्थापित उप-धारा (2) को इस प्रकार बनाया गया है -

सरकार के खिलाफ तत्काल और तत्काल राहत देना या

न्यायालय की अनुमति के साथ लोक अधिकारी। लेकिन अदालत ने कहा कि

मुकदमे में राहत नहीं देना, चाहे वह अंतरिम हो या अन्यथा, सिवाय इसके कि सरकार या लोक अधिकारी को देने के बाद, जैसा भी मामला हो

सूट में राहत के लिए प्रार्थना की। उप-धारा (2) का प्रावधान कि न्यायालय, यदि वह संतुष्ट है, पक्षकारों को सुनने के बाद कि

मुकदमे में कोई तत्काल या तत्काल राहत देने की आवश्यकता नहीं है, वापसी

का पालन करने के बाद उसे प्रस्तुत करने के लिए शिकायत

उप-धारा (1) की आवश्यकताएँ।

XXX

XXX

XXX

23. उप-धारा (3) द्वारा, संसद ने

पर्याप्त अनुपालन। वर्तमान सूट सीधे कवर किया जाएगा।

धारा 80 की उप-धारा (3) द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया गया यदि वाद 1 फरवरी, 1977 के बाद लाया गया। दुर्भाग्य से वादी के लिए,

संशोधन अधिनियम की धारा 97 में प्रावधान है कि लंबित मुकदमों और फरवरी को लंबित मुकदमों पर लागू नहीं होगा।

1 , 1977 इस तरह से निपटा जाना चाहिए जैसे कि ऐसा संशोधन नहीं किया गया था

बनाया गया। फिर भी अदालतों को परिवर्तन पर उचित ध्यान देना चाहिए।

संहिता की धारा 80 की उप-धारा (3) द्वारा लाया गया कानून

एक परिवर्तन में पर्याप्त के नियम की विधायी स्वीकृति होती है ध्यान सिंह शोभा सिंह मामले में इस अदालत द्वारा निर्धारित अनुपालन

(1958) एससीआर 781 और रघुनाथ दास (1969) 1 एससीआर 450। के रूप में

ध्यान सिंह सोभा सिंह मामले में देखा गया, इसका अर्थ लगाया जाना चाहिए सामान्य ज्ञान और उद्देश्य के संबंध में धारा 80

जिसके साथ यह अधिनियमित किया गया प्रतीत होता है। एस. एन. में निर्णय

दत्त बनाम। भारत संघ मामला (1962) 1 एस. सी. आर. 560, सहमत नहीं है

हमारे द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के साथ और इसलिए खारिज कर दिया जाता है।

14. ए. पी. और अन्य राज्य बनाम में एक अन्य हालिया निर्णय में।

ई. आर. बिल्डर्स, ए. पी., (2006) 12 एस. सी. सी. 119, इस न्यायालय ने फिर से आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया और निम्नानुसार निर्णय दियाः

वाई. सावरिमुत्तु बनाम। तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 14. धारा 80 की उप-धारा (1) को केवल पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि इसकी उप-धारा (2) में जो प्रावधान किया गया है, उसके अधीन रहते हुए सरकार या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता है जब तक कि उक्त प्रावधान के तहत अपेक्षित सूचना, यथास्थिति, ऐसे सरकारी या लोक अधिकारी को नहीं दी गई हो। यह सर्वसम्मत है कि धारा 80 के संशोधन से पहले -

बिना संशोधन वाली धारा 80 को कोई निहितार्थ और अपवाद नहीं माना गया

जो भी और स्पष्ट, स्पष्ट और अनिवार्य हैं। यह धारा न्यायालय पर एक वैधानिक और अयोग्य दायित्व लगाती है और धारा 80 के अनुपालन के अभाव में, मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। (देखिएः भागचंद दगादुसा बनाम। राज्य सचिव

परिषद ए. आई. आर. 1927 पी. सी. 176 में भारत के लिए; सवाई सिंघई निर्मल चंद बनाम। भारत संघ (1966) 1 एस. सी. आर. 986 और बिहारी

चौधरी बनाम। बिहार राज्य (1984) 2 एससीसी 627)। इस प्रकार, धारा 80 के तहत नोटिस की सेवा सरकार या एक लोक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। इस धारा का विधायी उद्देश्य सरकार को मुकदमे की पर्याप्त सूचना देना है, जिसे उसके खिलाफ दायर करने का प्रस्ताव है ताकि वह निर्णय पर पुनर्विचार कर सके और खुद तय कर सके कि क्या

दावा स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। जैसा कि बिहारी चौधरी में देखा गया है, इस धारा का उद्देश्य न्याय की प्रगति और अनावश्यक से बचने के द्वारा सार्वजनिक भलाई को सुनिश्चित करना है।

मुकदमेबाजी।

15. ऐसा लगता है कि इस प्रावधान ने वांछित परिणाम हासिल नहीं किए क्योंकि यह सामान्य अनुभव की बात है कि शायद ही कोई

सरकार या संबंधित लोक अधिकारी द्वारा उक्त प्रावधानों द्वारा दिए गए अवसर का उपयोग करके मामले का निपटारा किया जाता है। अधिकांश मामलों में धारा 80 के तहत दिया गया नोटिस बना रहता है।

अनुत्तरित। अपनी 14 वीं रिपोर्ट में (27 वीं और 54 वीं रिपोर्ट में दोहराया गया), विधि आयोग ने यह देखते हुए कि इस धारा के प्रावधानों ने बड़ी संख्या में ऐसे मामलों में बड़ी कठिनाई पैदा की है जहां न्याय के हित में सरकार या एक लोक अधिकारी के खिलाफ निषेधाज्ञा के माध्यम से तत्काल राहत आवश्यक थी, इस धारा को हटाने की सिफारिश की थी। हालाँकि, संसद की संयुक्त समिति, जिसे संशोधन विधेयक 1974 भेजा गया था, विधि आयोग से सहमत नहीं थी और

धारा 80 को आवश्यक रूप से बनाए रखने की सिफारिश की गई

संशोधन/छूट।

19] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. इस प्रकार, इसके अनुरूप, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा मौजूदा धारा 80 को धारा 80 (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था और उप-धारा (2) और (3) को 1-2-1977 से प्रभावी किया गया था। उप-धारा (2) में एक अपवाद बनाया गया है -

अनिवार्य नियम कि सरकार या लोक अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा तब तक दायर नहीं किया जा सकता जब तक कि ऐसे सरकारी या लोक अधिकारी को दो महीने का नोटिस नहीं दिया गया हो। यह प्रावधान उप-धारा (1) की कठोरता को कम करता है और न्यायालय को किसी व्यक्ति को उप-धारा के तहत कोई नोटिस दिए बिना मुकदमा दायर करने की अनुमति देने का अधिकार देता है। धारा (1) यदि यह पाया जाता है कि मुकदमा सरकार या किसी लोक अधिकारी के खिलाफ तत्काल और तत्काल राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से है। लेकिन, न्यायालय उप-धारा के तहत तब तक राहत नहीं दे सकता जब तक कि सरकार या लोक अधिकारी को राहत के संबंध में कारण बताने का उचित अवसर नहीं दिया जाता है। उक्त उप-धारा के परंतुक में आदेश दिया गया है कि यदि न्यायालय की राय है कि कोई तत्काल और तत्काल राहत नहीं दी जानी चाहिए, तो वह उप-धारा (1) की आवश्यकताओं का पालन करने के बाद उसे प्रस्तुत करने के लिए शिकायत वापस कर देगा। उप-धारा (3), यद्यपि वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक नहीं है, नियम लाने का प्रयास करती है -

पर्याप्त अनुपालन और उप-अनुभाग की कठोरता को कम करने की प्रवृत्ति

(1) . ”

15. दिनांकित 14.01.2000 नोटिस के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि यह अपीलार्थी के एक वकील द्वारा अधिकारियों को भेजा गया एक कानूनी नोटिस है

चिंतित हैं। यह विवादित नहीं है कि यह पंजीकृत ए. डी. द्वारा किया गया था और अधिकारियों को दिया गया था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि उक्त सूचना में कार्रवाई का कारण पर्याप्त रूप से निर्धारित किया गया है, जो 16.12.1999 पर अनुबंध की आंशिक समाप्ति की अवैधता है। यह भी स्पष्ट किया गया था कि हालांकि उस समय रिट याचिका खारिज करने के खिलाफ एक रिट अपील दायर की जाने वाली थी, फिर भी यह राज्य के खिलाफ "उचित कानूनी कार्रवाई" करने के लिए एक नोटिस होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस नोटिस की तारीख से दो महीने से अधिक समय बीत चुका है, जिसके बाद मुकदमा दायर किया गया है। वास्तव में, मुकदमा काफी समय बाद दायर किया गया था।

12.09.2002 . इसके अलावा, 29.01.2000 पर भी, अपीलार्थी के पत्र ने संभागीय अभियंता को स्पष्ट कर दिया कि न केवल आंशिक समाप्ति कानूनी रूप से खराब है, बल्कि काम के लिए देय भुगतान भी करना होगा।

16. इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 80 सी. पी. सी. के प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन है जैसा कि वाई. सावरिमुत्तु बनाम द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

तमिलनाडु और ओआरएस का राज्य। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संविधि पुस्तक में धारा 80 (3) को प्रस्तुत करने वाला संशोधन अधिनियम। उत्तरदाताओं का तर्क है कि धारा 80 का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है और

कि कानूनी सूचना और पत्र रिट अपील के निपटारे से पहले लिखे गए थे, उनके पास खड़े होने के लिए कोई आधार नहीं है। यह इस कारण से है कि किसी सूचना में उस धारा का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिसके तहत इसे बनाया गया है, जब तक कि धारा 80 की उप-धारा (3) के तत्व पूरे होते हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि रिट अपील दायर करने से पहले किसी कानूनी नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इसलिए, जो नोटिस 14.01.2000 पर भेजा गया था, वह केवल धारा 80 सी. पी. सी. के तहत था, यदि रिट अपील विफल हो जाती है और एक मुकदमा दायर करना पड़ता है।

17. इसलिए, हमारा विचार है कि विद्वान अतिरिक्त

जिला न्यायाधीश का निर्णय सही था। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार करते हैं और गुण-दोष के आधार पर दोनों अपीलों का निपटारा करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेजते हैं। इसके अलावा, यह देखते हुए कि यह वर्ष 2002 का एक मुकदमा है, हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वे इन अपीलों पर विचार करें और उनका जल्द से जल्द निपटारा करें।

18. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

अंकित ज्ञान

अपी

लों का निपटारा किया गया।